

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईखादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 315/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. शान्तिदेवी पत्नी श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. विद्या देवी पत्नी श्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह
2. गुरदास सिंह पुत्र स्व. श्री जगसीर सिंह
3. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह
4. जगजीत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
5. जगराज सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
6. जगा सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
7. जीत सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह
8. निकी पुत्री श्री सोहन सिंह
9. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह
10. सोहन सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह
11. गुरचरण सिंह पुत्र स्व. श्री कौर सिंह
12. गुरमीत सिंह पुत्र स्व. श्री कौर सिंह
13. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री कौर सिंह
14. निर्मल सिंह पुत्र स्व. श्री दलबारासिंह
15. शेर सिंह पुत्र स्व. श्री झरमलसिंह
16. बलकरण सिंह पुत्र स्व. श्री झरमल सिंह
17. जसकरण सिंह पुत्र स्व. श्री झरमल सिंह
18. रानी कौर पुत्री स्व. श्री मुख्त्यार सिंह
19. देवेन्द्र हिंस पुत्र स्व. श्री वीर सिंह
20. मनदीप सिंह पुत्र स्व. श्री वीर सिंह
21. प्रगट सिंह पुत्र स्व. श्री सरदारा सिंह
22. नीको पुत्री स्व. श्री हरनाम सिंह
23. तहसीलदार राजस्व संगरिया



जाति समस्त जटसिख निवासीगण भगतपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

महाराष्ट्र सरकार
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 6.10.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री.....वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 12 बीजीपी

1. विधादेवी पत्नी बृजलाल जाति जाट सा.ढाबा खातेदार प.न. 189/147 मु.न. 5 किला नं. 12/0.253, 19/1, 22/1/0.232 है.प्र. प.न. 189/148 मु.न. 12 किला नं. 2/1/0.068
2. गुरदयाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख सा.भगतपुरा खातेदार प.न. 189/147 मु.न. 5 किला नं. 18/0.253, 19/2, 22/2/0.021 है.प्र. 23,24/0.253 है.प्र. प.न. 189/148 मु.न. 12 किला नं. 2/2/0.021, 3/0.253
3. शान्तिदेवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट सा.ढाबा खातेदार प.न. 189/148 मु.न. 12 किला नं. 2/3/0.164, 8/0.253, 9/1/0.126, 4/0.253, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/3106 दिनांक 29.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि वहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निर्णय मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.10.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

मुख्यालय कौशिक
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया